उत्तर:

शिक्षा का अधिकार, भारत में एक मूल अधिकार है क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21(A) के तहत छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। भारत में लगभग 70% विद्यालय, सरकारी विद्यालय हैं। ये न केवल जनता को शिक्षा उपलब्ध कराने में बल्कि सामाजिक सशक्तीकरण और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। **ऐसा निम्नलिखित कारणों से है:**

- **अभिगम्यता:** करीब 11 लाख प्राथमिक विद्यालयों के साथ, भारत में विश्व की सबसे बड़ी सरकारी विद्यालय व्यवस्था विद्यमान है। इसके अतिरिक्त लिंग, जाति या धर्म से निरपेक्ष रहते हुए, विद्यालयों में नामांकन लगभग सार्वभौमिक हैं। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा तक पहुंच के माध्यम से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले दूरस्थ क्षेत्रों सहित, सभी क्षेत्रों का सशक्तीकरण हुआ है।
- **वहनीयता:** हाशिए पर स्थित लोगों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने हेतु निःशुल्क स्कूली शिक्षा की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) के अनुसार, कोविड-19 महामारी और परिवार की आय में गिरावट के कारण, वर्ष 2021 में नए नामांकनों में से 70.3% सरकारी विद्यालयों में हुए हैं।
- **महत्वपूर्ण सेवाएं:** सरकारी विद्यालय विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जो बच्चों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि मध्याह्न भोजन, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, पोषण की खुराक, परामर्श आदि। इसके परिणामस्वरूप समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के जीवन की संभावना और उनकी आर्थिक भागीदारी में सुधार होता है।
- **सामाजिक और लैंगिक स्तर पर सशक्तीकरण:** सरकारी विद्यालय हाशिए पर स्थित सामाजिक वर्गों, जैसे-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। वे लड़कियों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से लैंगिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने हेतु भी महत्वपूर्ण हैं।
- **बेहतर लोकतांत्रिक परिणाम**: शिक्षा और सूचना तक पहुंच के साथ, सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था ने बेहतर लोकतांत्रिक परिणाम सुनिश्चित किए हैं। इस प्रकार लोगों की भागीदारी के माध्यम से लोगों का प्रभावी सशक्तीकरण और समावेशी विकास हुआ है। इस प्रणाली ने समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को सुनिश्चित करने जैसे विभिन्न संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में भी मदद की है।

भारत में सामाजिक सशक्तीकरण और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण होने के बावजूद, पूरे देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता स्थिति खराब है। **शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट-ASER (2018) के अनुसार, कक्षा 5 के 50% छात्र और कक्षा 8 के 25% छात्र कक्षा 2 के स्तर की कठिनाई वाले एक साधारण पाठ को पढ़ने में असक्षम हैं।** कम स्टाफ और कम प्रशिक्षित जनशक्ति, अवसंरचना की कमी, कक्षा 8 तक फेल न करने की नीति और माता-पिता की क्षमता की कमी सरकारी विद्यालयों की कुछ सबसे प्रमुख चुनौतियां हैं।

भारत में सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं:

- **शिक्षा पर व्यय में वृद्धि:** गुणवत्तापूर्ण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा पर व्यय (वर्ष 2019-20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 3-3.5% था।) को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6% किया जाना चाहिए।
- **अधिगम-उन्मुख शिक्षण:** पाठ्यक्रम-उन्मुख शिक्षण से अधिगम-उन्मुख शिक्षण की ओर बदलाव समय की आवश्यकता है। इसके लिए एक नई मूल्यांकन प्रणाली की भी आवश्यकता होगी जो पाठ्यक्रम और अधिगम दोनों के परिणामों की जांच कर सके।
- **नई शिक्षा नीति, 2020 का प्रभावी कार्यान्वयन:** इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक स्कूलों में 100% सकल नामांकन अनुपात और मातृभाषा में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, बहु-विषयक शिक्षा आदि के माध्यम से शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना है। वर्तमान समय की मांग है कि इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

इस प्रकार, भारत में सामाजिक सशक्तीकरण और समावेशी विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए, सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था को समावेशी और परिणाम-उन्मुख शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करके मजबूत किया जाना चाहिए।

18. Though unity in diversity has been a mainstay of India as a nation, there exist certain threats in this regard. Discuss. Also, bring out the relevance of civil society in sustaining the diversity of India. (250 words) 15